International Journal of Research
e-ISSN: 2348-6848 & p-ISSN 2348-795X Vol-5, Special Issue-9
International Seminar on Changing Trends in Historiography: A Global Perspective
Held on 2nd February 2018 organized by **The Post Graduate Department of History. Dev Samaj College for Women, Ferozepur City, Punjab, India**

राजस्थान की मुस्लिम स्त्रियों की प्रस्थितिः एक ऐतिहासिक अध्ययन

शकुन्तला मीणा
इतिहास विभाग, जानकी देवी बजाज महाविद्यालय, कोटा (राजस्थान)
कमलेश सिंह महरिया
इतिहास विभाग, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, (राज.) ।

सांराश

राजस्थान में हालांकि मुस्लिम धर्म, मुसलमानों के बीच भ्रातृत्व में विश्वास करता है व जातिवाद व ऊँच–नीच को नहीं मानता परन्तु वास्तविकता में राजस्थानी मुसलमान महिलाओं में जातिवाद विद्यमान है। जाति के आधार पर ही व्यक्ति को समाज में उच्च व निम्न स्थिति प्राप्त होती व रही है। इन्ही तथ्यों का शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन राजस्थान की मुस्लिम स्त्रीयों की प्रस्थितिः एक ऐतिहासिक अध्ययन विषय को चुना गया है। किसी भी देषकाल और समाज में स्त्रियों की दषा पूर्णाता स्वतंत्र और समान नहीं है। मुस्लिम समुदाय में यह स्थिति अधिक चिंताजनक है। भारतीय परिदृष्य में मुस्लिम औरतों की स्थिति पर विचार करने के लिए स्त्रियों की दषा पर विचार करना आवष्यक है। क्योंकि भारतीय मुस्लिम स्त्रियों की दषा अन्य धर्मों या समुदायों की स्त्रियों से बहुत भिन्न नहीं है। अधिकार और विचार, किसी भी स्तर पर उनकी स्वतंत्रता और समानता की बात तो दूर कई बार तो उन्हें समान्य जीवन स्थितियां भी नसीब नहीं होती। बावजूद इसके उनकी जिजीविषा तो वाकई हतप्रभ और स्तब्ध कर देती है। विषम परिस्थितियों में भी वे न सिर्फ अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं बल्कि हर भूमिका को सफलता पूर्वक और सहजता के साथ निर्वाहन भी कर लेती हैं। इस जीवजगत में उनसा कठजीवी दूसरा प्राणी मिलना तो नितांत असंभव ही है। अपने तमाम श्रम, सृजन, संवेदना, निष्ठा और अस्तित्व को उपेक्षित किए जाने के बावजूद कत्तवर्य पथ पर निरंतर सक्रिय उनसा कर्मयोगी तो अन्यत्र दुर्लभ ही है। जिसके होने से दुनियां का अस्तित्व है और जो अपने अस्तित्व को मिटाकर भी दुनिया का सृजन करने का माद्दा रखती है। किसी भी सभ्य समाज में उसकी अवेहलना चिंतनीय ही नहीं निन्दानीय भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात हिन्दी साहित्य में मुस्लिम उपन्यासकारों ने अपने सार्थक हस्तक्षेप से मुस्लिम समाज को समझने में काफी मद्द मिली है।

भूमिका

इस्लाम में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुसलमान कहलाता है और मुसलमानों को नियंत्रित या शासित करने वाली विधि को मुसलमान विधि या शरीयत कहा जाता है। मुस्लिम धार्मिक किताब कुरआन वह प्रथम धार्मिक किताब है जिसमें आज से 1400 वर्ष पूर्व ही औरतों को पुरुष के बराबर मान लिया गया। लेकिन मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था में औरतों को मर्दों के मुकाबले दोयम दर्जे का माना जाता है, औरत के सामाजिक स्तर का सम्बन्ध सामाजिक मूल्यों से ताल्लुक रखने वाली समस्याओं से है। औरत के दर्जे से अर्थ यह है कि एक समाज विशेष में औरत को मर्द से ऊँचा, नीचा या बराबर क्यों माना जाता है। परिवार, विवाह, शिक्षा, राज्य आदि सामाजिक और राजनैतिक संस्थाएं इस तरह की होनी चाहिए कि वह मनुष्य के स्वभाविक विकास को कुंठित ना करें बल्कि उसे आजादी के साथ अधिक

विश्वास का मौका दे। यही संस्थाएं जोकि मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए बनाई थी, उनको कुंठित कर रही हैं।[1] अगर हम स्त्री के अधिकार की बात करते हैं तो उसके निर्णय लेने की स्वतंत्रता के अधिकार को कैसे नजरंदाज कर सकते हैं। निर्णयन स्वतंत्रता ही स्त्री का सबसे बड़ा मानवाधिकार है। मूलतः समाज पितृसत्तात्मक है, निर्णय प्रक्रिया से व्यवस्थित इस पितृसत्तात्मक समाज में अभी भी उच्च स्तर पर लैंगिक असमानता व्याप्त है। सामाजिक और आर्थिक रूप में महिलाओं में निर्णय के विकल्प बहुत सीमित होते हैं। निर्णय लेने का अधिकार सभी व्यक्ति को होता है। इसमें महिलाओं का भी अहम स्थान है जो कि हमारे देश कि कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं कि भूमिका उनकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता को दर्शाती है निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं कि भूमिका प्राकृतिक और सीमित होती है। महिलाओं का निर्णय कई सामाजिक संस्थाओं से प्रभावित रहता है जैसे परिवार,विवाह, नातेदारी इत्यादि। जिसके कारण मूलतः उन्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि उनके स्वयं के नहीं होते मतलब कि उनमें उनकी पसंद शामिल नहीं होती है। निर्णय लेने में महिलाओं कि भूमिका कमजोर उजागर होती है और संसाधनों पर उनका बहुत ही कम नियंत्रण होता है। निर्णय प्रक्रिया में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।" शिक्षा महिलाओं की पारंपरिक पारिवारिक भूमिका से अलग नहीं करती लेकिन एक माँ और पत्नी के रूप में उनके सामाजिक मूल्यों को बेहतर और सशक्त बनाती है। बेहतर स्थिति में होने का प्रभाव उनके निर्णयन क्षमता पर भी आवश्यक रूप से दिखाई पड़ता है।

राजस्थान एवं भारत का मध्यकाल या मुस्लिम काल भी कहा जाता है, जो राजतंत्र था जो मूलतः पुरूष प्रधान व्यवस्था थी जिसमें राजपरिवार व उसके आस–पास के लोग प्रमुख पदों पर होते थे। बादशाह के विश्वास के व्यक्ति ऐसी व्यवस्था में महत्वपूर्ण होते थे अतः बादशाह की माँ, आया, पत्नियाँ, बहनें, प्रेमिकाएँ, बेटियाँ व अन्य महिलाएँ शासन में कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी।[2] महान अकबर की संयुक्त प्रधानमंत्री कुछ समय तक एक स्त्री थी। महीम आका नाम की यह स्त्री इससे पूर्व बादशाह की नर्स थी। कश्मीर की हब्बा खातून ने कवियित्री, उपन्यासकार के रूप में ख्याति पाई थी। उसने सम्राट अकबर साम्राज्य लिप्सा का विरोध भी किया।

मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था में पुरूष को परिवार के मुखिया तथा व्यवस्थापक की हैसियत प्राप्त है ताकि परिवार में पारिवारिक व्यवस्था व अनुशासन बना रहे। बच्चों का समाजीकरण परिवार पर ही निर्भर है अतः इस्लाम में सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया गया है कि परिवार को सुव्यवस्थित , संगठित तथा मजबूत बूनियादों (नींव) पर स्थापित किया जाता चाहिए।

अध्ययन का उद्देश्यः

राजस्थान में हालांकि मुस्लिम धर्म, मुसलमानों के बीच भ्रातृत्व में विश्वास करता है व जातिवाद व ऊँच–नीच को नहीं मानता परन्तु वास्तविकता में राजस्थानी मुसलमान महिलाओं में जातिवाद विद्यमान है। जाति के आधार पर ही व्यक्ति को समाज में उच्च व निम्न स्थिति प्राप्त होती व रही है। इन्ही तथ्यों का शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन राजस्थान की मुस्लिम स्त्रीयों की प्रस्थितिः एक ऐतिहासिक अध्ययन विषय को चुना गया है। किसी स्त्री के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह उसके जीवन अवसरों, लक्ष्य विन्यासों एवं उसके सम्पादन के अवसरों के निर्धारण में तथा उनकी अभिवृत्ति आकांक्षाओ एवं मूल्य उन्मेषों, आदर्शों के गठन में निश्चयात्मक भूमिका प्रस्तुत करती है एवं शोध के प्रमुख उद्देष्य निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट होते है–

- राजस्थान राज्य में मुस्लिम महिलाओं का ऐतिहासिक अध्ययन।
- राजस्थान राज्य में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति के बारे में जानना।

- राजस्थान राज्य में मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक आधिकारों बारे में जानना।

शोध प्रविधि

इस शोध के लिए उन समस्त शोध प्रविधियों का प्रयोग किया जायेगा आंकडे एवं तथ्य विश्लेषणए तुलनात्क अध्ययन का सुंतुलित विकास किया जा सकेगा, जिससे इस शोध कार्य में विश्वसनीयता एवं सुदृढ़ता लायी जा सकेगी एवं शोध कार्य का सुसंठित विकास हो सकेगा।

अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ व प्रामाणिक बनाने के उद्देश्य से सामाजिक विज्ञानों में प्रचलित शोध प्रविधि को शोध का आधार बनाया गया है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शोध प्रबन्ध को वैज्ञानिक शोध प्रविधि द्वारा व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने का किया जाएगा।

शोध अध्ययन द्वारा प्राप्त प्रतिफल

इस्लाम के आगमन से पूर्व अरब में पुत्री जन्म को परिवार में बुरा माना जाता था। पुत्री के जन्म लेते ही उसे पृथ्वी में जिन्दा दफना दिया जाता था।[3] चूंकि इस्लाम के आगमन से पूर्व अरब कबीलाई समाज में विभाजित था। इस कलीबाई समाज में एक मुखिया होता था, जिसका अन्य सब सत्कार करते थे तथा उसका आदेश ही सर्वोपरि था। कबीलाइ समाज की पुरूषवादी अहं ने पुत्री का विवाहोपरान्त एक कबीले से दूसरे कबीले में जाना अपने अहं विपरीत समझते थे। इस कारण से पुत्री को जन्म लेते ही अरब के लोग उसे जिन्दा दफना देते थे।

इस कबीलाई समाज में अनेक बुराईयां जैसे शराब, जुआ, बहु विवाह आदि प्रचलित थीं। उनका न कोई आचार था, ना कोई सभ्यता ही थी।

इस्लाम के प्रादुर्भाव के समय समाज की स्थिति न केवल दयनीय, थी, बल्कि समाज अनेक कुरीतियों से घिरा हुआ था। इस समय पैगम्बर मुहम्मद ने अपनी सुधारात्मक दृष्टि, अथक प्रयास तथा उपदेशों से न केवल समाज की बुराईयों को समाप्त करने का प्रयास किया बल्कि समाज में स्त्रियों को भी स्थापित करने का प्रयत्न किया।[4] इस प्रयास के कारण स्त्रियों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ तथा उनके साथ सामान्य व्यवहार की व्यवस्था भी हुयी।

मध्यकालीन मुस्लिम समाज में शासक वर्ग से जुडी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन इन महिलाओं की स्वतंत्रता तथा सम्मान महलों तक ही सीमित था, सार्वजजिक रूप में अथवा राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की ये भागीदार नहीं थी।

मध्यकालीन समाज की अधिकांश महिलाओं की स्थिति में कोई आमूल–चूल परिवर्तन नहीं हुआ। मुस्लिम शासक के हरम में अनेक स्त्रियां निवास करती थीं, जिनकी सार्वजनिक स्थलों पर उपस्थिति नहीं होती थी। मध्यकालीन मुस्लिम समाज में बहु विवाह की प्रथा का प्रचलन के कारण शासक वर्ग से जुडे अमीर लोग के महलों में अनेक स्त्रियां उनकी उपपत्नी के रूप में निवास करती थी। इस कारण से उनमें आपस में संघर्ष की स्थिति बनी हुयी थी।[5] हालांकि इस्लाम में चार पत्नियों को रखने की ही प्रथा है, परन्तु इस युग के शासक अपने हरम में अनेक महिलाओं को उप पत्नियों के रूप में रखते थे, तथा अपने भोग की तृप्ति का साधन मात्र समझते थे। इस बहु विवाह की प्रथा के कारण मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आयी और वह अपने पति के पूर्णतया अधीन हो गयी। सर टामस रो के अनुसार –

–मध्ययुगीन भारतीय मुस्लिम स्त्रियां बहु वैवाहित पत्नी के पूर्णतया अधीन हो गई, उन्हें अपने पतियों के निर्देश पर चलना पडता था। वे दासियों की भांति जीवन व्यतीत करती थी और उनके भोजन के उपरान्त भोजन करती थी।

मध्ययुगीन मुस्लिम समाज में महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन भी मौजूद था। पर्दा प्रथा महिलाओं को मानसिक रूप से परतंत्र बना रहा था। इस प्रथा का मध्य युग में कडाई से पालन हो रहा था, इसका प्रयोग न करने पर महिलाओं को निर्लज्ज समझा जाता था। महिलाओं से पर्दा करवाना मध्ययुगीन पुरूष समाज अपनी प्रतिष्ठा समझाता था। इस तरह पर्दा प्रथा का प्रचलन मध्ययुगीन समाज में व्याप्त था। इस प्रथा का पालन केवल मुस्लिम समाज की महिलायें नहीं बल्कि उच्च वर्गीय हिन्दु महिलायें भी कर रहीं थीं तथा इसे अपना कर्तव्य समझती थीं।

इन सब कुप्रथाओं के बावजूद मध्ययुगीन इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण भी मिल जाते है जिनमें महिलायें राजनीति में सक्रिय थीं।[6] हालांकि इनकी सक्रियता महल तक ही सीमित थी, इनकी सक्रियता केवल सलाह मशवरे के रूप में ही देखने को मिलती है। मध्ययुगीन समाज में रजिया सुल्तान ही एक ऐसा उदाहरण है जिसने सभी लोक लाज पुरानी परम्पराओं तथा रूढियों को त्याग कर सत्ता पर आसीन हुई परनतु दम्भी तुर्कों ने उन्हें इस सुख से पदस्थ कर वंचित करर दिया।

मुगल कालीन शासन ने स्त्रियों भूमिका के कुछ उदाहरण मिलते है। बाबर ने तैमूर और चंगेज खां की परम्पराओं का अनुसरण किया और अपनी स्त्रियों को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लाने के लिये प्रोत्साहित किया। परन्तु संप्रभुता का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था। सम्राट अकबर की दाई 'माहम अनगा' भी एक प्रभावशाली महिला के रूप में इतिहास में दर्ज है। इस प्रकार मध्यकालीन भारत के कुछ महिलाओं के ऐसे उदाहरण मौजूद है जिनका प्रीााव शासन तथा सत्ता के गलियारे तक था परन्तु इनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति राजमहल तक ही सीमित थी।[7]

निष्कर्ष

अगर हम एक स्त्री को उसके समस्त निर्णय का अधिकार देते हैं तो इसका मतलब है की हम उसे स्वतंत्र जीवन का उपहार दे रहे होते हैं और उसके व्यक्तित्व को बढ़ावा दे रहे होते हैं, क्योंकि अपने जीवन के फैसले स्वयं करने से व्यक्तित्व का विकास होता है। मुस्लिम समाज में महिलाओं को अपने अस्तित्व को लेकर अधिक संघर्षरत होना पड़ता है क्योंकि उनके स्वतंत्र अधिकारों को अकसर शरीयत और धर्म का हवाला देकर मारा जाता रहा है।[8]

मध्यकाल में, जिन उदारवादी विचारों ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा उससे अछूता रहा। उलेमाओं ने मुसलमानों की दकियानूसी सोच का फायदा उठाया और उन तमाम बातों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया जो उन्हें जरा भी आधुनिक लगी। इसने मुस्लिम समुदाय का एक बडा हिस्सा उससे अछूता रहा ।[9] उलेमाओं ने मुसलमानों की दकियानूसी सोच का फायदा उठाया और उन तमाम बातों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया जो उन्हें जरा भी आधुनिक लगी। इसने मुस्लिम समुदाय के भीतर प्रगतिशील संस्थाओं, मसलन शिक्षा, बैंकिग आदि की स्थापना की राह में खलल डालने का काम किया। इसलिए मुसलमान दकियानूसी सोच के दरिया में ही गोते लगाते ही रह गए, जबकि दूसरे उनसे काफी आगे निकल गए। हिन्दुत्ववादी राजनीति के उदय ने भी मुसलमानों की स्थिति को बिगाडने में योगदान दिया है। इसकी वजह से 1992 में न केवल बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, बल्कि देश कुछ वीभत्स साम्प्रदायिक दंगों का भी गवाह बना।[10] 1993 में मुंबई दंगा और 2002 में गुजरात दंगा ऐसे ही क्रूरतम कृत्यों के उदाहरण हैं। साम्प्रदायिक संघर्षों की अनवरत श्रंखला ने मुसलमानों की कूपमंडूकता को कालांतर में बढाने का ही काम दिया।

इसकी परिणति यह हुई कि मुसलमान प्रगति की जगह अपनी सुरक्षा के प्रति ज्यादा चिंति रहने लगे।

मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार से जोडने और उन्हें सरकारी ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार विशेष तौर पर 15 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आई है। सरकार ने

90 मुस्लिम बहुल जिलों को खासतौर पर चिंन्हित किया है, जहां लडकों व लडकियों के लिए स्कूल, बैंक एवं स्वास्थ्य केन्द्र आदि स्थापति करने, उन्हें ऋण की सुविधा प्रदान करने और दूसरी बुनियादी सुविधाऐं प्रदान करने की योजनाएं हैं, ताकि मुसलमान प्रगति की राह पर आगे बढ सकें।[(11)] लेकिन ऐसा लगता है कि मुसलमान प्रगति की राह पर आगे बढ सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि मुसलमानों के लिए यूपीए का 15 सूत्रीय कार्यक्रम कागजों में ही सिमट कर रह जायेगा। इसकी एक वजह तो नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जबकि दूसरी वजह यह है कि खुद मुस्लिम समुदाय में यह काबिलियत नहीं आई है कि वह इन योजनाओं का फायदा उठा सके। इसकी एक वजह यह भी है कि मुसलमानों को पास आधुनिक वाले नेतृत्व का सर्वथा अभाव है।

भारतीय मुसलमानों की पूरी कहानी काफी निराशाजनक है। आधुनिकता पर छाए मनहुसियत के साये से पीछा छुडा पाने में यह वर्ग पूरी तरह से नाकाम रहा है।[(12)] मुसलमानों के लिए रास्ता यही है कि वे आधुनिकता को अंगीकार करें और उस दकियानूसरी नेतृत्व से अलग रास्ता अपनाएं जो समुदाय को लगातार गर्त में ले जा रहा हैं इसमें कोई संदेह नहीं की जब तक मुसलमान आधुनिकता पर छाई मनहूसियत से पल्ला नहीं छुडा लेते, तब तक कोई भी कल्याणकारी योजना पिछडपन के दुष्चक्र से उन्हें मुस्ति नहीं दिला सकती हैं।[(13)]

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अहमद, करूणा; ''वूमेन्स हायर एज्यूकेशन, रिक्वारमेंट एंड रेलेवेंस'' विकास प्रकाशन, नई दिल्ली, 1994.
2. आहूजा, राम : भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
3. बावेल, भारतीय संविधान, लॉ बुक डिपो, जयपुर, 2000
4. भारतीय जनगणना रिपोर्ट, 2001 भारत सरकार
5. बेगलर, ऐलसी., '' सेक्स, स्टेटस एंड ऑथोरिटी,'' अमेंरिकन एन्थ्रोपॉलोजिस्ट, 1970.
6. दुबे, एस.सी; एन्टरप्राइज रिफॉर्म एण्ड प्राइवेटाइजेशन इन सोशियलिस्ट इकोनॉमीज, वर्ल्ड बैंक डिस्कशन पेपर अंक 4, 1990.
7. फ्रेरे, पाउले; '' पॉलिसी एंड प्रफोरमेंस इन इंडियन एज्यूकेशन'' ओरिएंट लोगमैन , 1975.
8. गोरे, एम.एस. और देसाई, आई. पी., ''द स्कोप ऑफ ए सोशियोलॉजी ऑफ एज्यूकेशन'' ओरिएंट लोगमैन, 1970
9. 9.श्रीनिवास, एम.एन. : सोशियल चेंज इन मॉर्डन इंडिया, नील कमल प्रकाशन; नई दिल्ली,1997. पृष्ठ सं. 56–57 26. मजूमदार, वीना, सिंबल्स ऑफ वीमैन इन इंडिया, एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1993.
10. शुक्ला, भास्कर ; ''वूमन एंड वूमन ए फेमिनिस्ट स्टडी'' अनमोल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995.
11. सिंह, मीना; ''वूमन एज्यूकेशन'' ए.पी.एच. प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002.
12. शुक्ला, पी.डी., ''एजूकेशन फॉर ऑल'' अनामिका प्रकाशन, नई दिल्ली, 1984.
13. व्हाइट; द स्टेअस ऑफ विमिन इन प्रीइंडस्ट्रीयल सोसाइटी, प्रीस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रीस्टन, 1978.